(घ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० वी० तंग्कावालू) : (क) जी हां

(ख) से (घ) संपूर्ण देश में इस प्रकार की योजना शुरू करने का कोई प्रस्ताव कल्याण मंत्रालय के विचराधीन नहीं है । जैसा हरियाणा ने किया है अन्य राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ऐसी योजना स्वयं शुरू कर सकते हैं ।

दिल्ली में वक्फ सम्पत्ति

2273. मौलाना ओबैदुल्ला खान आजमी : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : इस समय दिल्ली में वक्फ सम्पत्ति का ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : दिल्ली प्रशासन तथा दिल्ली वक्फ बोर्ड द्वारा दी गई सूचना के अनुसार दिल्ली में 1886 वक्फ सम्पत्तियां हैं । एक विवरण जिसमें दिल्ली गजट की वे अधिसूचनायें हैं जिसमें इन सम्पतियों के ब्यौरे अधिसूचित किए गए है, सभा पटल पर रख दिया गया है जो

विवरण

दिल्ली राजपत्र अधिसूचनाओं का ब्यौरा

क्र०सं०	राजपत्र अधिसूचना संख्या	तारीख को प्रकाशित
1	सं० 14 भाग–4	16–4–1970
2	सं० 45 भाग–4	31–12–1970
3	सं० 17 भाग–5 खंड	25–9–1975
4	सं० 5 भाग–5 खंण्ड–2 खंड–2	8–9–197
5	सं० 6 भाग–5 खंड–2	4–5–197
6	सं० 6 भाग–5 खंड–2	4–5–1971
6	सं० 11 भाग–5 खंड–2	21–6–197
7	स० 10 भाग–5खंड–2	10–4–198(
8	सं० 5 भाग–5 खंड–2	21–5–19८
9	सं० 14 भाग–5खंड–2	21–10–19८
10	सं० 5 भाग–5 खंड–2	4–10–1984
11	सं० 5 भाग–5 खंड–2	21–6–198
12	सं० 2 भाग–5 खंड–2	5–6–1986
13	सं० 1 भाग–5 खंड–2	19–1–198

अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए नई योजनायें

2274. मौलाना ओबैदुल्ला खान आजमी : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ नई योजनायें आरंभ करने का विचार रखती है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि नौकरशाही हस्तक्षेप के कारण अल्पसंख्यकों के लिए बनाई गई इन कल्याण योजनाओं के पूरे लाभ उन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठा रही